आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
29.12.2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "**मौजा–रहेया** में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करने अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास **खाता सं0 41 प्लौट सं0–10 रकबा 0.11 ए0 पर कुदुस मियां पिता रसुल मियां** के द्वारा जोत कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा बंदोबस्ती पर्चा अनुमण्डल पदाधिकारी बन्दोबस्ती वाद सं0 130/2002–03 प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि का मांग पंजी II के पेज नं0 ....90/II.... पर कायम है। **रसीद 2003–13** तक निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी अवैध प्रतित नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को को सदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।" अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई....समाप्त....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। ह0/- 29/12/2025 अंचल अधिकारी, मनातू। ह0/- 29/12/2025 अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय :- अवैध जमाबंदी केस नं० 147/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन।

निबंधित
3
29/11/2024

महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया जाँच में पाया कि मौ० खाता 41 प्लॉट सं० 10 अना रकबा 0.11 डि० पर कुद्दुस मियाँ पिता रसुल मियाँ के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा बन्दोबस्ती पर्ची अनु० पदा० वहाँ वाद सं० 130/2002-03 प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि का मांग पंजी II के पृष्ठ सं० 99/III पर कायम है। रसीद 2003-13 तक निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

अंचल अमीन मनातू

27/12/25
RSI+ci

रिपोर्टानुसार
जमा (-3) [illegible]
वाद उ० नि०
हल्का - III

अंचल अधिकारी ....मनातू.... का कार्यालय

130/2002-13

अभिलेख वाद संख्या- 197/2016-17 मनातू

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

P-55/1

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074 / रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0नीति-119 / 85 / 2308 / रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914 / रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा-....रछेया....., थाना- ....346...... खाता संख्या-....41.......... प्लॉट संख्या- .....10.......रकबा-.....0.11..... एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-.....................के पृष्ठ संख्या-....90/2.... पर जमाबंदी रैयत .... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध कोडकर बंदोबस्ती के अधार पर / अवैध लगान निधारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनकी कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
मनातू

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– कुदुस मियां S/o रसूल मियां ग्रा. रहेमा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
रहेमा	346	41	10	0.11

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या.............. पृष्ठ सं0–.....90/1 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 02-13
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :–
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :–
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– [illegible]
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती – 17/02/203
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
I	4768291	20/4/12	2002-03/2012-13

[signature]

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित 3
	आज केस - उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी - पक्ष - अनुपस्थित। अतः - पुनः द्वितीय नोटिस निर्गत 28 जिसकी तिथि ——— को रखें। [illegible] मनाद/	

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे[illegible] गई क[illegible] बारे में [illegible] तारीख [illegible]
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तद्नुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमांबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	

6

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या ....147..../2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)

नेाटिस

बनाम कुदुम सिंह S/o रघुवर सिंह
ग्राम - रहेया

एतद् नेाटिस द्वारा आपाको सूचित किया जाता है कि मैजा ...रहेया... थाना नं0..346
खाता नं0....41... खेसरा नं0....10....रकबा...0.11... से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0.......
पंजी भाग के पृष्ठ ....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपरान्त संदिन्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक ..05/11/24.. को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न मे उक्त
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म
सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकारं द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं
साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करे ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के
मे युक्ति युक्त निर्नय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

25/10/2024

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.12.31 13:04:00 +05:30
Location: 10.100.138.156